[2024] 11 एस.सी.आर. 1325: 2024 आइएनएससी 927

आर. शमा नाइक

बनाम

जी. श्रीनिवसैयाह

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 13393/2021)

(28 नवंबर 2024)

[जे.बी पादरीवाला एवं आर. महादेवन, न्यायाधीश**]**

विचारणीय मुद्दा

क्या वादी यह स्थापित करने में विफल रहा कि वह अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए सदैव तैयार और इच्छुक था।

शीर्ष टिप्पणियां

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 - धारा 16(ग) - याचिकाकर्ता-मूल वादी ने दिनांक 03.03.2005 के विक्रय अनुबंध के आधार पर विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद संस्थित किया - याचिकाकर्ता का यह कथन है कि वह अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए सदैव तैयार और इच्छुक था - विचारण न्यायालय ने वाद स्वीकार किया तथा विशिष्ट निष्पादन हेतु डिक्री पारित की - तथापि, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी यह स्थापित करने में विफल रहा कि वह अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए सदैव तैयार और इच्छुक था - हस्तक्षेप अपेक्षित है या नहीं:

अभिनिर्धारित: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16(ग) (01.10.2018 से प्रभावी संशोधन से पूर्व) उस व्यक्ति के पक्ष में अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन का प्रतिकर प्रदान करने पर रोक लगाती है, जो अपने हिस्से के अनुबंध का पालन करने हेतु अपनी तत्परता एवं इच्छुकता का अभ्यावेदन करने में विफल रहता है। विधि इस संबंध में सुव्यवस्थित है। वादी पर

यह दायित्व है कि वह न केवल वादपत्र में स्पष्ट कथन एवं अभ्यावेदन करे, बल्कि आवश्यक मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करे, जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार समय पर भुगतान करने हेतु उसके पास धनराशि उपलब्ध थी। अनुबंध के पालन हेतु तत्परता और इच्छुकता के बीच सूक्ष्म अंतर है, और विशिष्ट निष्पादन के प्रतिकर के लिए दोनों आवश्यक तत्व हैं। जहाँ तत्परता से आशय वादी की अनुबंध को पूरा करने की क्षमता से है, जिसमें उसकी वित्तीय स्थिति सम्मिलित होती है, वहीं इच्छुकता वादी के आचरण से संबंधित होती है। उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के मूल्यांकन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि वादी यह स्थापित करने में विफल रहा कि वह अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए सदैव तैयार और इच्छुक था। यह तथ्यात्मक निष्कर्ष है और इसे विकृत नहीं कहा जा सकता, अतः अपीलित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं है। [अनुच्छेद 8, 10, 12, 13, 14]

अधिनियमों की सूची

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

प्रमुख शब्दों की सूची

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16(ग); अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने हेतु तत्परता एवं इच्छुकता; धनराशि की उपलब्धता; मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य।

मामले की उत्पत्ति

असाधारण अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 13933/2021

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा आर.एफ.ए. संख्या 1017/2013 में पारित दिनांक 01.07.2021 के निर्णय एवं आदेश से।

अधिवक्तागण

श्रीमती वैजयन्ती गिरीश, गिरीश अनंतमूर्ति, अधिवक्ता – याचिकाकर्ता की ओर से।

मंजूनाथ मेलेद, संदीप शर्मा, श्रीमती विजयलक्ष्मी उदापुडी, गणेश कुमार आर., अधिवक्ता – उत्तरदाता की ओर से।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

<u>आदेश</u>

1. यह याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा नियमित प्रथम अपील संख्या 1017/2013 में दिनांक 01-07-2021 को पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा मूल प्रतिवादी द्वारा दायर नियमित प्रथम अपील स्वीकार कर ली गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ता-मूल वादी के पक्ष में पारित विशिष्ट निष्पादन की डिक्री एवं निर्णय को निरस्त एवं अपास्त कर दिया गया।
2. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता-मूल वादी ने दिनांक 3 मार्च 2005 के विक्रय अनुबंध के आधार पर विशिष्ट निष्पादन हेतु वाद संस्थित किया था।
3. विक्रय अनुबंध में निर्धारित कुल विक्रय प्रतिफल ₹30,00,000/- (केवल तीस लाख रुपये) है। ₹12,50,000/- (केवल बारह लाख पचास हजार रुपये) की राशि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा विक्रय अनुबंध के निष्पादन के समय बयाना राशि के रूप में अदा की गई।
4. याचिकाकर्ता का यह कथन है कि वह अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए सदैव तैयार एवं इच्छुक था, परंतु वर्तमान उत्तरदाता-मूल प्रतिवादी, बयाना राशि ₹12,50,000/- (केवल बारह लाख पचास हजार रुपये) प्राप्त करने के बावजूद विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए इच्छुक नहीं था।
5. उपरोक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने मूल वाद संख्या 1101/2008 संस्थित किया, जिसमें विशिष्ट निष्पादन का प्रतिकर अथवा वैकल्पिक रूप से बयाना राशि की वापसी की प्रार्थना की गई।
6. विचारण न्यायालय ने वाद स्वीकार करते हुए विशिष्ट निष्पादन की डिक्री पारित की। प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने वादी की ओर से अनुबंध के अपने हिस्से के पालन में तत्परता एवं इच्छुकता के मुद्दे पर प्रतिवादी की अपील स्वीकार कर ली।
7. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी अवलोकन किया है।
8. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 16(ग) (01.10.2018 से प्रभावी संशोधन से पूर्व) उस व्यक्ति के पक्ष में अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन का प्रतिकर प्रदान करने पर

रोक लगाती है, जो अपने हिस्से के अनुबंध का पालन करने हेतु अपनी तत्परता एवं इच्छुकता का अभ्यावेदन करने में विफल रहता है।

9. तत्परता एवं इच्छुकता के विषय पर अनेक निर्णय उपलब्ध हैं।
10. विधि इस संबंध में सुव्यवस्थित है। वादी पर यह दायित्व है कि वह न केवल वादपत्र में विशिष्ट कथन एवं अभ्यावेदन करे, बल्कि आवश्यक मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करे, जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार समय पर भुगतान करने हेतु उसके पास धनराशि उपलब्ध थी।
11. अनुबंध के पालन हेतु तत्परता और इच्छुकता के बीच सूक्ष्म अंतर है। विशिष्ट निष्पादन के प्रतिकर के लिए दोनों तत्व आवश्यक हैं।
12. जहाँ तत्परता से आशय वादी की अनुबंध को पूरा करने की क्षमता से है, जिसमें उसकी वित्तीय स्थिति सम्मिलित होती है, वहीं इच्छुकता वादी के आचरण से संबंधित होती है।
13. उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के मूल्यांकन के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादी यह स्थापित करने में विफल रहा कि वह अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए सदैव तैयार एवं इच्छुक था।
14. यह तथ्यात्मक निष्कर्ष होने के कारण इसे विकृत (perverse) नहीं कहा जा सकता, अतः अपीलित निर्णय में हस्तक्षेप करने का हमारे पास कोई उचित कारण नहीं है।
15. परिणामस्वरूप, याचिका असफल होती है और इसे hereby खारिज किया जाता है।
16. लंबित आवेदन/आवेदनगण, यदि कोई हों, का निस्तारण किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील खारिज।

† शीर्ष टिप्पणियां अंकित ज्ञान द्वारा तैयार की गईं।

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|